न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. : 2020/00052 (29/2020)

प्रार्थी

दीपाराम पुत्र धनाराम, जाति सुथार, निवासी ग्राम सोमेसर, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत सोमेसर जरिये सरपंच तहसील शेरगढ़।
2. माधुदान पुत्र वेणीदान, जाति चारण, निवासी ग्राम सोमेसर, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा विलेख संख्या 15 जो मिसल संख्या 04/2010 में दिनांक 28.12.2010 को सरपंच ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा कार्यवाही करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी किया गया।

– – –

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता सिद्धार्थ परिहार (प्रार्थी)।
2. अधिवक्ता पूनाराम विश्नोई (अप्रार्थी संख्या 2)।

–आदेश – दिनांक : 17.02.2021

संक्षिप्त में पुनरीक्षण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत ने पट्टे में वर्णित पड़ौसो के बीच स्थित भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या दो के नाम जारी करने में कानूनी भूल की है। ग्राम पंचायत ने जिस भूखण्ड का पट्टा जारी किया है उक्त भूखण्ड पर पहले से ही प्रार्थी एवं उसके परिवाजनों का रहवासीय मकान बना हुआ है। उक्त पट्टा विलेख से व्यथित होकर यह निगरानी प्रार्थना–पत्र 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत पेश हुई।

पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा ग्राम पंचायत सोमेसर से मूल अभिलेख भी तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई ने वकालतनामा पेश किया। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सो[illegible]नांक 17.08.2020 को न्यायालय में

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:15:55 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित हुए और अवगत कराया कि न्यायालय द्वारा चाही गई पत्रावलिया एवं अभिलेख पट्टा संख्या 15 दिनांक 28.12.2010 व मिसल संख्या 04/2010 ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से लिखित बहस पेश हुई तथा उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस भी सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया कि जिस भू–भाग का पट्टा अप्रार्थी के नाम से जारी किया गया है वो भूभाग प्रार्थी का पैतृक पुश्तैनी व कब्जासुदा है जिस पर प्रार्थी तथा उसके परिवारजन के जीवनकाल से ही रहवासीय मकान बने हुए है जबकि ग्राम पंचायत ने भूखण्ड का पट्टा अप्रार्थी के नाम से बिना किसी कानूनी प्रक्रिया अपनाये तथा बिना मौका निरीक्षण किये जारी कर दिया। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व किसी भी प्रकार के विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, न ही मौके के अनुसार मौका रिपोर्ट बनाई गई और न ही किसी प्रकार के कोई आपत्तियों संबंधित नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी का कई वर्षों से रहवासीय मकान बना हुआ है, उसके बाद भी मनमाने तौर पर विधि विरूद्ध पट्टा जारी कर भारी भूल की है जो निरस्त योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 2 के अभिभाषक श्री पूनाराम विश्नोई ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि माननीय न्यायालय में प्रस्तुत उक्त निगरानी की सुनवाई का नोटिस अप्रार्थी को प्राप्त हुआ जिस पर अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत से पता किया तो मालूम हुआ की अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जिस भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया उस पर अप्रार्थी संख्या 2 का कोई कब्जा नहीं है। तत्कालीन सरपंच ने आज दिन तक अप्रार्थी संख्या 2 को मूल पट्टे नहीं दिये है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपने पुश्तैनी बाड़े का पट्टा प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन अवश्य किया था परन्तु पट्टा संख्या 15 जिस पड़ौसों के बीच स्थित भूमि बाबत जारी किया गया है उसके पट्टे के लिए कोई आवेदन अप्रार्थी संख्या 2 ने नहीं किया। पट्टा संख्या 15 में वर्णित भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 2 का कोई कब्जा नहीं है बल्कि अन्य लोगों के मकानात् बने हुए है। इस पट्टे में वर्णित भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 2 का कोई क्लेम नहीं है। यदि पट्टा निरस्त किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई एतराज नहीं है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्र व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पंचायत निगरानी का गुणावगुण निर्णय इस प्रकार किया जा रहा है। यह तथ्य निर्विवादित है

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:15:55 IST
Reason: SelfAttested

कि जिस भूखण्ड का पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 को दिया गया उस पर अप्रार्थी संख्या 2 का कोई कब्जा नहीं है। इन परिस्थितियों में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करना अवैधानिक है। न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत से मुख्य अभिलेख तलब करने पर ग्राम पंचायत द्वारा मूल पट्टा, पट्टे के लिये आवेदन–पत्र, मूल मिसल, बैठक कार्यवाही रजिस्टर ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होने की पुष्टि की गई। ऐसी स्थिति में तथाकथित पट्टे का नियमानुसार जारी करना संदेहात्मक है तथा जब पट्टे में वर्णित भू–भाग पर प्रार्थी का कब्जा है तो उस भू–भाग पर अप्रार्थी को पट्टा जारी कर ग्राम पंचायत ने विधिक प्रावधानों का उंल्लघन किया है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त किया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर माधुदान पुत्र वेणीदान जाति चारण निवासी ग्राम सोमेसर तहसील शेरगढ को ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा माधुदान के नाम से जारी पट्टा विलेख संख्या 15 मिसल संख्या 04 सन् 2010 दिनांक 28.12.2010 को एतद् निरस्त किया जाता है। निर्णय पत्रावली के सलंग्न हो। निर्णय प्रति ग्राम पंचायत सोमेसर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर

निर्णय दिनांक 17.02.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:15:55 IST
Reason: SelfAttested